# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

**संख्या 1005 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29/पाकालि/2017–7 काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 05 सितम्बर, 2017**

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०।

**विषयः- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों, को सप्तम वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2016, दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से अनुमन्य महँगाई भत्ते की दरों का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 460–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 16–7–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 22.06.2016, सं0 333–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 17–7–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 27.03.2017 एवं सं0 948–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 17–7–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 29.08.2017 के माध्यम से पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतनमानों में दिनांक 01.01.2016, दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें अनुमन्य करायी गई हैं।

2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों/केस्को के कार्मिकों के सम्बन्ध में सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण का आदेश पावर कारपोरेशन के आदेश सं0 999–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 17–5–काविनी एवं वे0प्र0 / 16 दिनांक 01.09.2017 के माध्यम से जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को निम्नानुसार महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा :–

| तिथि जब से देय है | महंगाई भत्ते की मासिक दर |
|---|---|
| 01 जनवरी, 2016 | शून्य |
| 01 जुलाई, 2016 | 02 प्रतिशत |
| 01 जनवरी, 2017 | 04 प्रतिशत |

3. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन से है किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिधि में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(क्रमशः....... 2)

4. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत ' वेतन ' नहीं माना जायेगा।

5. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7. दिनांक 01.01.2017 से देय बढ़ी हुई महँगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान माह अगस्त, 2017 का वेतन, जो माह सितम्बर, 2017 में देय है, से नकद किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त महँगाई भत्ते की दरों के अवशेष का भुगतान कारपोरेशन के सप्तम वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण आदेश दिनांक 01.09.2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का०वि०नी०)

**संo– 1005 –(I) काविनी एवं वेप्र0–29/पाकालि/2017 तददिनांक।**

***प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–***

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का०वि०नी०)